

ले ज गुरमीत सिंह

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)
राज्यपाल एवं

कुलाधिपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।



राजभवन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/C7-12(1)/2017
देहरादून : दिनांक 03 जुलाई, 2023

आदेश

एतद्वारा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय परिनियमावली-2009 के परिनियम-4(1) में उल्लिखित व्यवस्था के अर्न्तगत इस सचिवालय के आदेश संख्या : 1433/जी0एस0(शिक्षा)/C7-12(1)/2017 दिनांक 20 जुलाई, 2022 द्वारा प्रो० ओम प्रकाश सिंह नेगी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अधिवर्षता आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी का कुलपति नियुक्त किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या : 257/जी0एस0(शिक्षा)/C7-12(1)/2017 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 को अग्रेतर आदेश तक निरस्त किया जाता है।

अतः प्रो० ओम प्रकाश सिंह नेगी को उनके कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 25 जुलाई, 2022 से अग्रेतर आदेश निर्गत होने अथवा अधिकतम तीन वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो तक के लिए उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के कुलपति पद के दायित्व निर्वहन के निर्देश दिये जाते हैं।

हैं-

ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या : E3113 (1)/जी0एस0/शिक्षा/C7-12(1)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रो० ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
7. कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
9. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Raman
(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।